सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/253 दर्ज तिथिः–27.06.2024

1. जबरसिंह पुत्र डुगरसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र जबरसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र डुंगरसिंह
4. शैतानसिंह पुत्र भवरसिंह
5. लूणसिंह पुत्र भवरसिंह
जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र डुगरसिंह
2. दरीया कवंर पत्नी मदनसिंह
3. राधा कंवर पत्नी माधुसिंह
4. रतनसिंह पुत्र प्रेमसिंह
5. छगनसिंह पुत्र प्रेमसिंह
6. सोरमकंवर पत्नी किशनसिंह
जाति राजपुत निवासी जवाणियों की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर।

................असल प्रतिवादीगण

7. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
8. शाखा प्रबंधक पीएनबी बैंक गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैंक गुड़ामालानी
10. तहसीलदार गुढामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः– श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः– 05.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 633/15.1676 है0 मौजा जीवाणियों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में समस्त प्रतिवादी विधिवत तामिल बाद असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए।

3. प्रकरण में उभय अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान–ए–बहस वादीगण का खाता बाई मिटस बाई बाउण्ड पृथक किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.09.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/2025/1358 दिनांक 08.08.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक पत्रांक/कोर्ट/2025/1358 दिनांक 08.08.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 01.08.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1976–1986 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1976–1986 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 03 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 03 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण ने कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। परंतु कई अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी की बहस सुनी गई।

5. प्रकरण में बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 633/15.1676 है0 मौजा जीवाणियों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

188. Injunction against wrongful ejectment—
(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.
(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-
(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;
(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः हाल सह काश्तकार [illegible] संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदार [illegible] आराजी पर बेदखल करने का प्रयास

नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 633/15.1676 है0 मौजा जीवाणियों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जबरसिंह पुत्र डूंगरसिंह हि0 10198 / 16673 मनोहरसिंह पुत्र जबरसिंह हि0 6475 / 16673 कौम राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन हि0 जबरसिंह एस0बी0आई0 गुड़ामालानी	जीवाणियों की ढाणी	633	5.0019 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 5.0019 है0				
भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह हि0 14407 / 50019 शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 6475 / 16673 लूणसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 16187 / 50019 जाति राजपुत सा0देह खातेदार राहिन हि0 भंवरसिंह पीएनबी गुड़ामालानी शैतानसिंह एसबीआई गुड़ामालानी लूणसिंह आरएमजीबी गुड़ामालानी	जीवाणियो की ढाणी	633 633 633	0.1942 है0 0.2347 है0 4.5730 है0	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 5.0019 है0				
मदनसिंह पुत्र डूंगरसिंह हि0 971 / 13678 भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह हि0 2347 / 13678 कौम राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा भंवरसिंह पीएनबी गुड़ामालानी दरिया कवंर पत्नी मदनसिंह हि0 740 / 977	जीवाणियों की ढाणी	633	2.7356 है0	बा0दो0
राधा कंवर पत्नी माधुसिंह हि0 पूर्ण कौम राजपुत सा0 देह खातेदार	जीवाणियों की ढाणी	633	2.2665 है0	बा0दो0
गैर मुमकिन सड़क हेतु (प्रस्तावित)	जीवाणियो की ढाणी	633	0.1133 है0	बा0दो0
संयुक्त खाता(जमाबंदी अनुसार)	जीवाणियो की ढाणी	633 633	0.0242 है0 0.0242 है0	बा0दो0 बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्षा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 253 दर्ज तिथिः–27.06.2024

1. जबरसिंह पुत्र डुगरसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र जबरसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र डुंगरसिंह
4. शैतानसिंह पुत्र भवरसिंह
5. लूणसिंह पुत्र भवरसिंह

जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र डुगरसिंह
2. दरीया कवंर पत्नी मदनसिंह
3. राधा कंवर पत्नी माधुसिंह
4. रतनसिंह पुत्र प्रेमसिंह
5. छगनसिंह पुत्र प्रेमसिंह
6. सोरमकंवर पत्नी किशनसिंह

जाति राजपुत निवासी जवाणियों की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर।

................असल प्रतिवादीगण

7. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
8. शाखा प्रबंधक पीएनबी बैंक गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैंक गुड़ामालानी
10. तहसीलदार गुढामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः– श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 63 रकबा 5.1676 है0 मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

जीवाणियों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जबरसिंह पुत्र डूंगरसिंह हि0 10198 / 16673 मनोहरसिंह पुत्र जबरसिंह हि0 6475 / 16673 कौम राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन हि0 जबरसिंह एस0बी0आई0 गुड़ामालानी	जीवाणियों की ढाणी	633	5.0019 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 5.0019 है0				
भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह हि0 14407 / 50019 शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 6475 / 16673 लूणसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 16187 / 50019 जाति राजपुत सा0देह खातेदार राहिन हि0 भंवरसिंह पीएनबी गुड़ामालानी शैतानसिंह एसबीआई गुड़ामालानी लूणसिंह आरएमजीबी गुड़ामालानी	जीवाणियो की ढाणी	633 633 633	0.1942 है0 0.2347 है0 4.5730 है0	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 5.0019 है0				
मदनसिंह पुत्र डूंगरसिंह हि0 971 / 13678 भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह हि0 2347 / 13678 कौम राजपुत सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा भंवरसिंह पीएनबी गुड़ामालानी दरिया कवंर पत्नी मदनसिंह हि0 740 / 977	जीवाणियों की ढाणी	633	2.7356 है0	बा0दो0
राधा कंवर पत्नी माधुसिंह हि0 पूर्ण कौम राजपुत सा0 देह खातेदार	जीवाणियों की ढाणी	633	2.2665 है0	बा0दो0
गैर मुमकिन सड़क हेतु (प्रस्तावित)	जीवाणियो की ढाणी	633	0.1133 है0	बा0दो0
संयुक्त खाता(जमाबंदी अनुसार)	जीवाणियो की ढाणी	633 633	0.0242 है0 0.0242 है0	बा0दो0 बा0दो0

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

यह डिक्री आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested